

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट बांसा)

मु.न. 39/2016

उनवान

1. गोपाललाल पुत्र नारायण
2. छीतरमल पुत्र सुज्या
3. भैरूराम पुत्र रामनाथ
4. बाबूलाल पुत्र रामनाथ
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती रूडीदेवी पत्नि श्री अर्जुनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बासा)
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा चीथवाडी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 23.05.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प बांसा में पेश हुई। वादी उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 18.05.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि खाता संख्या 211 के आराजी खसरा नम्बर 932 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मारीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


1. रूडीदेवी पत्नी अर्जुनलाल जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/1 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

2. गोपाललाल पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/2 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. भैरूराम, बाबूलाल पि० रामनाथ जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/4 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. छीतर पुत्र सुज्या राहिन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा चीथवाडी मूर्तहीन जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/3 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. छीतर पु० सुज्या हि. 1/4 राहिन ज. था. ग्रा. बैंक शाखा चीथवाडी, गोपाललाल पुत्र नारायण हि. 1/4 भैरूराम बाबूलाल पि. रामनाथ हि. 1/4 रुडीदेवी पत्नी अर्जुनलाल हि. 1/4 कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/5 रकबा 0.03 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.33 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प बांसा पर सुनाया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


 उप प्रमुख अधिकारी
 आर.ए.एस
 उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट बांसा)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. गोपाललाल पुत्र नारायण
2. छीतरमल पुत्र सुज्या
3. भैरुराम पुत्र रामनाथ
4. बाबूलाल पुत्र रामनाथ

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती रूडीदेवी पत्नि श्री अर्जुनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बासा) तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा चीथवाडी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 39/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. रूडीदेवी पत्नी अर्जुनलाल जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/1 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. गोपाललाल पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/2 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. भैरुराम, बाबूलाल पि0 रामनाथ जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/4 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. छीतर पुत्र सुज्या राहिन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा चीथवाडी मूर्तहीन जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/3 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.66 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. छीतर पु0 सुज्या हि. 1/4 राहिन ज. था. ग्रा. बैंक शाखा चीथवाडी, गोपाललाल पुत्र नारायण हि. 1/4 भैरुराम बाबूलाल पि. रामनाथ हि. 1/4 रूडीदेवी पत्नी अर्जुनलाल हि. 1/4 कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 932/5 रकबा 0.03 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.33 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उप खण्ड अधिकारी

वसरत में हस्ताक्षर के मोहर अदालत के आज तारीख 23.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर



दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.....

जयपुर जिला चैसयपुर

मुदई	रुपय	पैसे	मुदाईला		
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	0		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी

ज्योती जिला-जयपुर